पत्रावली वादीगण ... जातेवाड़/बं 192 हेतु दि० 16-5-16 को पेश हो

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

4/5/16 राजेन्द्र

सिद्धकरण

... शासन सचिव, जयपुर (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर के पत्र कमांक [illegible] राज-1/2016 दिनांक 12.04.20[illegible] जिला कलक्टर, [illegible] के पत्र क्रमांक/कोर्ट/911 [illegible] 2016 के [illegible] नोटिस जारी [illegible] में तैयार किए गए कार्य [illegible] राजस्व लोक अदालत अभियान [illegible] 2016/ कैम्प कोर्ट में दिनांक 17/5/16 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

16/5/16 पत्रावली आज मौके अदालत में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी क्र 192 ने राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है। पत्रावली वास्ते निर्णय कैम्प इन्दाली पेश हो।

17/5/16 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर इन्दाली में पेश हुई वकील ... उपस्थित ... पत्रावली का अवलोकन किया ... वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा स्वीकार ... खसरा नं 380 रकबा 25.12 हैक्टेयर ... 48 हिस्सा ...

A 3/4

राजेन्द्र, 1/8 हिस्सा राजेन्द्र S/o रिद्धकरण,
शेष 3/4 हिस्सा केसरी के पुत्रों, रविन्द्र,
बाबू किशन राजेन्द्र प्रत्येक को 1/4 हिस्से
का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता
है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया
जाकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल
शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो

ह०/-
सहायक कलेक्टर (मु.)
नागौर

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर कैम्प ईनाणा

बइजलास–ए.एच.गौरी (आर.ए.एस.)

A27

राजस्व वाद संख्या :– 137/2016

1. कु. गुड्डी पुत्री राजेन्द्र
2. रविन्द्र पुत्र राजेन्द्र
3. बाबु पुत्र राजेन्द्र

तमाम जाति जाट निवासीगण फिडोद हाल निवासी लालाप तहसील व जिला नागौर (वादीगण संख्या 1 से 3 नाबालिगान जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमति सुमन पत्नी राजेन्द्र निवासी फिडोद हाल लालाप तहसील व जिला नागौर) वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र लटियाल पुत्र रिद्धकरण जाति जाट निवासी फिडोद तहसील व जिला नागौर
2. रिद्वकरण पुत्र भागीरथराम जाति जाट निवासी फिडोद तहसील व जिला नागौर
3. तहसीलदार, नागौर
4. उप पंजीयक, नागौर

प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

1. श्री सहदेवराम चौधरी अधिवक्ता
2. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता — वादीगण
1. श्री सोहनलाल लटियाल अधिवक्ता। — प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवाडा खेताय व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद अधीन धारा 88, 188, 53 राज. टिनेन्सी एक्ट

निर्णय — दिनांक :– 17.5.16

वादीगण ने जरिये अधिवक्त एक वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवाडा खेताय व स्थाई निषेधाज्ञा वाद अधीन धारा 88, 188, 53 राज. टिनेन्सी एक्ट का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

वादीगण संख्या 1 से 3 नाबालिग है जिनकी ओर से उनकी कुदरती वलिया माता श्रीमति सुमन पत्नी श्री राजेन्द्र वाद प्रस्तुत कर रही है। वादीगण की माता सुमन व वादीगण का हित समान है व वादीगण के हितो को ध्यान में रखते हुए कुदरती वलिया माता द्वारा नाबालिगान की ओर से वाद प्रस्तुत करने की ईजाजत दी जाना न्यायसंगत है।

वादीगण तमाम प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्रगण व पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 2 के पौत्रगण व पौत्री है। हाल खसरा नम्बर 380 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 127 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 5 बिस्वा वाके मौजा फिडोद वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पुश्तेनी खेताय रहते चले आये है।

हाल खसरा नम्बर 127 वादीगण के दादा के नाम से खातेदारी में दर्ज है व खसरा नम्बर 380 भी वादीगण का पुश्तेनी खेत है मगर प्रतिवादी संख्या 2 व उनके भाईयों ने जब

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

पूर्व में आपस में खेतों का पारिवारिक बंटवाडा किया तो दावे से नहीं करके खेतो की अदला बदली के जरिये रजिस्ट्री बिना प्रतिफल की राशि दिये व लिये आपस में करवा दी। प्रतिवादी संख्या 2 ने जो अन्य खेत अपने नाम थे उनकी रजिस्ट्री अन्य भाईयों के करवा दी व बदले में खेत खसरा नम्बर 380 जो वादीगण के दादा के बंट व हिस्से में था व खातेदारी दुसरे भाई के नाम थी, इसकी रजिस्ट्री बिना प्रतिफल की राशि दिये व लिये प्रतिवादी संख्या 2 ने वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवा दी, जिससे खेत खसरा नम्बर 380 प्रतिवादी संख्या 1 का स्वअर्जित नहीं होकर वादीगण का पुश्तेनी है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लालची, स्वार्थी व लोभी प्रवृति के व्यक्ति है व वादीगण का कभी भला नहीं सोच रहे है व अपने नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए वादीगण को बिना बंट दिये सम्पूर्ण भूमि अन्य अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने की धमकियां दे रहे है व वादीगण को अपने हक हिस्से से महरूम रखने पर आमादा है इसलिए वादीगण को उक्त वाद अपनी पुश्तेनी भूमि में बंट प्राप्त कर रेकर्ड में अपना नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज करवाने हेतु उक्त वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, रेकड दुरूस्ती व बंटवाडा का पेश करना लाजमी जाने से वाद पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 सम्पूर्ण भूमि को अन्य किसी को बेचान, हस्तान्तरण, रहन आदि नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को ताफैसला वाद जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने हेतु उक्त वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे–

(क) खसरा नम्बर 380 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा फिडोद में सें 3/4 हिस्सा वादीगण की खातेदारी व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी का घोषित किया जावें।

(ख) हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा फिडोद तहसील नागौर में सें 3/5 हिस्सा वादीगण की खातेदारी के व 1/5 – 1/5 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी के घोषित किया जावें व इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नागौर को तहरीर जारी फरमावें।

(ग) वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावें।

(घ) अन्य इस्तदुआ जो लाभार्थ वादीगण हो वादीगण के हक में अता फरमाई जावें।

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के सम्मन तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण संख्या 1 से 3 कु. गुड्डी, रविन्द्र व बाबु व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 राजेन्द्र व रिद्धकरण की तरफ से निम्नलिखित राजीनामा पेश प्रस्तुत किया गया–

पक्षकारान के मध्य बसमझाईश मौतबिरान व रिश्तेदारान के लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है तथा आगे का जीवन पक्षकारान सौहार्दपूर्वक जीना चाहते है। पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 यह स्वीकार करते है कि खेत खसरा नम्बर 380 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा फिडौद वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त पुश्तैनी कब्जा काश्त खातेदारी एंव बंट का है तथा खेत खसरा नम्बर 380 का सम्पूर्ण रकबा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित कर दिया जावें। इसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया जावे एंव खसरा नम्बर 380 के सम्पूर्ण रकबे का 1/8 भाग दौराने वाद वादीगण की माता सुमन के हक में बख्शीश किया जा चुका

A 2/3

है, शेष 7/8 भाग में सें 1/8 भाग प्रतिवादी राजेन्द्र के तन्हा बंट में तथा 2/8 क्रमशः वादी संख्या 1, व 2/8 भाग वादी संख्या 2 व शेष 2/8 वादी संख्या 3 बाबू के तन्हा बंट व कब्जा काश्त का घोषित किया जाने में पक्षकारान सहमत है। उक्त बंटसुदा खातेदारी की आमदनी से ही वादीगण व वादीगण की माता सुमन जीवन पर्यन्त अपना गुजारा करेगे। अतिरिक्त राशि के लिए कोई क्लेम नहीं करेगें।

खेत खसरा नम्बर 127 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा फिडोद के बाबत वाद वादीगण वापिस लेते है। खेत खसरा नम्बर 127 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा मौजा फिडोद प्रतिवादी संख्या 2 रिद्धकरण अकेले के कब्जा काश्त खातेदारी में है तथा रहेगा। जिसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा किसी तरह से नहीं है तथा न कभी भी क्लेम कर सकेगे।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि राजीनामा तस्दीक फरमाकर माफिक राजीनामा निर्णय किया जाकर डिक्री फरमाया जावें।

अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादीगण एंव प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने जरिये राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादी एंव प्रतिवादीगण में राजीनामा हुआ है कि ग्राम फिडौद के खसरा नम्बर 380 की 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि में सें 1/8 हिस्सा वादीगण की माता सुमन के नाम बख्शीश करने के पश्चात् शेष 7/8 हिस्से में 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में तथा वादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के हक में 2/8 अर्थात 1/4 हिस्सा रखे जाने की सहमति हुई तथा खसरा नम्बर 127 की 12 बीघा 13 बिस्वा भूमि से वाद वापस लेने का निवेदन किया। मुताबिक जमाबंदी संवत् 2020 के खसरा नम्बर 380 की भूमि भागीरथ पुत्र मंगला जाति जाट के नाम दर्ज है। जिसके आधार पर वादगत भूमि पैतृक होना प्रमाणित होता है। अतः वाद वादीगण व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर ग्राम फिडौद के खसरा नम्बर 380 की 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि में सें 1/8 हिस्सा सुगन पत्नी राजेन्द्र, 1/8 हिस्सा राजेन्द्र पुत्र रिद्धकरण, शेष 3/4 हिस्सा में वादी कु.गुड्डी, रविन्द्र, बाबु पिसरान राजेन्द्र प्रत्येक को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.5.16 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए. एच. गौरी)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

A 8/1

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत.सहायक कलक्टर (मु.) नागौर कैम्प कोर्ट ईनाणा

बइजलास ए. एच. गौरी. आर. ए. एस.

1. कु. गुड्डी पुत्री राजेन्द्र
2. रविन्द्र पुत्र राजेन्द्र
3. बाबु पुत्र राजेन्द्र

तमाम जाति जाट निवासीगण फिडोद हाल निवासी लालाप तहसील व जिला नागौर (वादीगण संख्या 1 से 3 नाबालिगान जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमति सुमन पत्नी राजेन्द्र निवासी फिडोद हाल लालाप तहसील व जिला नागौर) वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र लटियाल पुत्र रिद्धकरण जाति जाट निवासी फिडोद तहसील व जिला नागौर
2. रिद्वकरण पुत्र भागीरथराम जाति जाट निवासी फिडोद तहसील व जिला नागौर
3. तहसीलदार, नागौर
4. उप पंजीयक, नागौर

प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवाडा खेताय व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद अधीन धारा 88, 188, 53 राज. टिनेन्सी एक्ट

मुकदमा नं 137 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ———— बहाजरी ——— मिनजानिब मुदई ब ———— मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद वादीगण व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर ग्राम फिडौद के खसरा नम्बर 380 की 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि में सें 1/8 हिस्सा सुगन पत्नी राजेन्द्र, 1/8 हिस्सा राजेन्द्र पुत्र रिद्धकरण, शेष 3/4 हिस्सा में वादी कु.गुड्डी, रविन्द्र, बाबु पिसरान राजेन्द्र प्रत्येक को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बीज ——— मुबलिग. ——— बाबत् ——— खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ——— फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. ——— .को अदा करें।

बसब्त मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.05.2016 को जारी की गई ।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प वकालात नामा	—	—
स्टाम्प वकालात नामा	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महनताना वकील पर	—	—
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	—	—
मुतफर्रिक	—	—			
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का , चाहे डिकरी के ज... दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर